

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 172/2015/उदयपुर

मैसर्स अपोलो टायर्स लि०, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

.....प्रत्यर्थी की ओर से

उप-राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 20.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 जो अपील संख्या 09/वेट/14-15/सुमेरपुर के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दि. 28.03.2014 के विरुद्ध पेश की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर से टायर एण्ड ट्यूब्स का आयात किया जा रहा था। दिनांक 25.03.2014 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान परिवहनित माल के साथ समस्त विधिक दस्तावेज मौजूद थे, केवल मात्र वेट 47 क्रमांक 2562071 दिनांक 12.05.2008 अवधिपार था। व्यवहारी को नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा नवीन वेट 47 क्रमांक 2840167 दिनांक 02.07.2013 जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया एवं उल्लेखित किया गया कि उनकी कोई करापवंचना की मंशा नहीं है एवं ना ही सशक्त अधिकारी ने जांच के दौरान व्यवहारी का कोई दोष सिद्ध किया है। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रू० 13,06,773/- आरोपित की, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 19.08.2014 पारित किया। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में चुनौती दी गई है।
3. उभयक्षीय बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था कि लिपिक की गलती के कारण घोषणा प्ररूप वेट-47 कालातीत माल के साथ संलग्न हो गया है तथा जवाब के साथ पुनः प्ररूप वेट-47 प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्रस्तुत जवाब को सशक्त अधिकारी

2/

1/



द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। गुणावगुण पर पुनः अग्रिम कथन किया कि प्रथम उपलब्ध अवसर पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप जवाब के साथ पेश कर दिया था, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी है, जो पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स किशनगढ़ बनाम् स.वा.क.अ. उड़नदस्ता 2013 36 टैक्स अपडेट 37 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक को प्रोद्धरित कर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ कालातीत प्ररूप वेट 47 पाया गया, जिससे व्यवहारी की करपवंचना की मंशा सिद्ध होती है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वेट-47 अवधिपार प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अन्य वांछित दस्तावेजात जी.आर. संख्या 96493 दिनांक 22.03.2014, इन्वॉयस कम स्टॉक ट्रांसफर नोट संख्या 1673-303838 दिनांक 22.03.2014 मैसर्स अपोलो टायर्स लि0, पूणा से उदयपुर आदि वक्त चैकिंग मौजूद थे। केवल मात्र कालातीत वेट 47 पाये जाने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। व्यवहारी द्वारा आयातित माल का निर्माण पूना में होता है एवं वहां से विभिन्न राज्यों को उनके अधिकृत व्यवहारियों को स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है। व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब में नवीन वेट 47 दिनांक 26.03.2014 को सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, जिससे अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 की पालना सुनिश्चित हो जाती है। सशक्त अधिकारी द्वारा घोषणा प्ररूप वेट-47 की प्रस्तुति के अभाव में जारी नोटिस की पालना में, अर्थात् प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी कि लिपिक की त्रुटि के कारण घोषणा प्ररूप वेट-47 अवधिपार माल के साथ संलग्न हो गया है तथा जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप वेट-47 प्रस्तुत किया गया था। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त को बाद की सोच होना अवधारित कर, प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, तदनुसार शास्ति आदेश पारित किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या शास्ति आरोपित करना उचित है?

2<sup>m</sup>


लगातार.....3



7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत 120 एस.टी.सी. 212 एसीटीओ बनाम मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स निर्णय दिनांक 02.03.2000 के प्रकरण में हुये निर्णय को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है, जिसका सुसंगत तथ्य निम्नानुसार है :-

"In the Present case all other details required to be accompanied and disclosed by the trnasporter while carrying goods from one place to another were apparent from the documents accompanying goods and declaration in the form giving undertaking to pay tax in respect of transaction in question was also there by the buyer.


There is no disputed that on the expiry of date the form does not become non est but very same from can be validated and given life for a further period by the concerned officer.


In these circumstances, I am of the opinion that the Deputy Commissioner (Appeals) as well as the Tax Board were justified in drawing conclusion about want of mens rea to evade or avoid payment of tax on the part of the responent dealer and in not sustaining the penalty levied by the assessing officer."

8. जहां तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त में भी यह वक्त जांच स्पष्ट कर दिया गया था कि लिपिक की त्रुटि के कारण वैट-47 कालातीत घोषणा प्ररूप संलग्न कर दिया गया था, जो कि "भूलवश" था। वक्त परिवहन माल के साथ अन्य विधिक दस्तावेजात उपलब्ध थे, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यामक स्थिति को नजरअंदाज कर, शास्ति आरोपित की गयी, जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। फलस्वरूप, यह अवधारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप वैट-47 कालातीत प्रस्तुत करना "भूलवश" था, जिसे प्रथम उपलब्ध अवसर पर अपीलार्थी द्वारा वैट-47 प्रस्तुत कर दिया गया। समान सिद्धांत माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक आयुक्त, मिवाड़ी (2013) 35 टैक्स अपडेट 49 में प्रतिपादित किये गये है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

9. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2014 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(नत्थूराम)  
सदस्य

  
20.4.2017  
(मदन लाल)  
सदस्य